राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत बख्ताना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 25/2016

A9

1. गुरदीपसिंह पुत्र रलासिंह जाति कम्बोजसिख साकिन 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री औमप्रकाश बत्तरा अधिवक्ता	प्रार्थी
2. पैराकार राज	अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 06.06.2017

प्रार्थी गुरदीपसिंह पुत्र रलासिंह जाति कम्बोजसिख साकिन 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कि वादी तथा वादी के भाई शिंगारासिंह के नाम चक 11 क्यू तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 29/28 का मुरब्बा नम्बर 51–57 में 7.720 हैक्टर रकबा वादी के नाम गुरदीपसिंह है वादी का राशन कार्ड वोटर लिस्ट मतदाता पत्र तथा यूनिक कार्ड में वादी का नाम गुरदीपसिंह दर्ज है मूल निवास प्रमाण पत्र में भी वादी का नाम गुरदीपसिंह है लेकिन जमाबन्दी में चक 11 क्यू तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 56/55 का मुरब्बा नम्बर 57 में किला नम्बर 1 ता 7 में जो रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें रकबा शिंगारासिंह – दलीपसिंह पुत्रगण रलासिंह दर्ज किया गया है जबकि शिंगारासिंह – गुरदीपसिंह दर्ज होनें चाहीयं लेकिन भूलवश गुरदीप सिंह के स्थान पर दलीपसिंह दर्ज किया गया है। जिसमें दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

वादी द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें रिकार्ड आनें पर वादी को कहा गया कि सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जावे इसलिये वाद प्रस्तुत करके दुरूस्ती करवानें का हकदार है।

जमाबन्दी में भूलवश लिपिकिय गलती से दलीपसिंह दर्ज हो गया है जब कि गुरदीपसिंह नाम दर्ज होना चाहिये था जिसका दुरूस्ती किया जाना अति आवश्यक है क्योंकि तमाम कागजात में वादी का नाम गुरदीपसिंह पुत्र रलासिंह दर्ज है लेकिन जमाबन्दी में भूलवश से गुरदीपसिंह के स्थान पर दलीपसिंह दर्ज हो गया है उसे सही किया जाना चाहिये।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

A2
2

अतः वाद अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट का प्रस्तुत कर अर्ज है, कि चक 11 क्यू तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 29/28 का मुरब्बा नम्बर 51—57 में 07720 हैक्टर रकबा में वादी का नाम दलीपसिंह पुत्र रलासिंह है उसे दुरूस्त करके गुरदीपसिंह पुत्र रलासिंह दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि चक 11 क्यू कि जमाबन्दी सम्वत् 2068—2071 के खाता संख्या 29/28, 29 के मुरब्बा नम्बर 51, 57 में गुरदीपसिंह पुत्र रलासिंह के नाम 0.772 हैक्टर रकबा एकल खाता में दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 39/61 में चक 11 क्यू के मुरब्बा नम्बर 57 रकबा 1.012 हैक्टर रकबा दलीपसिंह पुत्र रलासिंह के नाम से दर्ज है उक्त रकबा श्री शोभाराम पुत्र होदाराम जाति अरोड़ा से दिनांक 17.02.1969 को बैयनामा के द्वारा शिंगारासिंह दलीपसिंह पिसरान रलासिंह के नाम खरिद किया है।

उक्त रकबा भूलवश/लिपिकिय गलती से दलीपसिंह के नाम दर्ज नहीं हुआ है। जरिये बैयनामा दिनांक 17.02.1969 से दर्ज हुआ है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थी को अपनें प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य पेश करनें हेतु समय दिया गया परन्तु प्रार्थी द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जानें पर प्रार्थी के साक्ष्य बन्द किये गये।

वकील वादी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन राजस्व अभिलेख में दलीपसिंह का नाम बैयनामा के आधार पर दर्ज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई लिपिकिय त्रुटि नही होनें के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

—:: आदेश ::—

अतः राजस्व अभिलेख में दलीपसिंह का नाम बैयनामा के आधार पर दर्ज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई लिपिकिय त्रुटि नही होनें के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 अर्न्तगत राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 का पोषणीय नहीं होनें के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 06.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बख्ताना में मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर